राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक प–5( ) आ.कृ./एन.एम.ई.ओ–OS/फेंसिंग/2026–27/ 1297-1537 **दिनांकः–** 08/06/2026

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद समस्त
3. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी.,कोटा
4. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प., बीकानेर
5. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त/जिला विस्तार अधिकारी सी.ए.डी. एवं आई.जी.एन.पी.

विषयः– वर्ष 2026–27 के लिए किसानों के खेतों पर तारबन्दी कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा–निर्देश भिजवाये जाने बाबत।

नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिये किसानों के खेतों पर तारबन्दी, कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

तारबन्दी कार्यक्रम के आयोजन में दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे तथा प्रति सभी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों तथा विभाग के समस्त सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का श्रम करें। वर्ष 2026–27 के लिये जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पृथक से भिजवाये जायेंगे।

संलग्नः–1. दिशा–निर्देश

(नरेश कुमार गोयल)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प–5( ) आ.कृ./एन.एम.ई.ओ–OS/फेंसिंग/2026–27/ 1297-1537 **दिनांकः–** 08/06/2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि राज0, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर (समस्त)............।
6. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि, विस्तार/आदान/अनु0, मुख्यालय, जयपुर।
8. निदेशक, समेति आत्मा, अकादमिक भवन, राज्य कृषि प्रबन्धंन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक कृषि, (योजना/पौध संरक्षण/ज.उ.प्र./गुण नियन्त्रण/ए.टी.सी./एम.एण्ड ई/रसायन/ आदान/सांख्यिकी) को एरिया नोडल आफिसर के रूप मे पर्यवेक्षण हेतु।
10. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन) खण्ड जयपुर/भरतपुर/श्रीगंगानगर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भीलवाडा/सीकर/जालौर/बीकानेर।
11. उप निदेशक कृषि, (विस्तार/प्रशिक्षण/अभियांत्रिकी/रसायन/सूचना), मुख्यालय, जयपुर।
12. उप निदेशक कृषि, (तकनीकी), प्रभारी राज किसान साथी पोर्टल मुख्यालय, जयपुर।
13. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त, कृषि

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22618545
M e-Sign

तारबन्दी कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

राज्य में कृषकों की फसलो को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव एंव रोकथाम के लिये तारबन्दी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। तारबंदी कार्यक्रम राज्य योजना/कृषक कल्याण कोष तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–तिलहन(60:40) अन्तर्गत तारबन्दी हेतु वर्ष 2026–27 में क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1–अनुदान की पात्रता :–

1.1 इस योजना का लाभ **सभी श्रेणी के कृषकों** को दिया जायेगा।

1.2 व्यक्तिगत आवेदन में **न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि** एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।

1.3 एक कृषक समूह में **न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर** जमीन होना आवश्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।

1.4 **सामुदायिक स्तर पर तारबन्दी** में **07 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टर** भूमि तथा समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में होना आवश्यक है।

1.5 व्यक्तिगत/समूह में प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक कृषक/समूह द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार तारबन्दी किये जाने पर अनुदान देय होगा एवं खेत की पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक/कृषक समूह द्वारा स्वयं के स्तर पर खेत की सुरक्षा हेतु आवश्यक क्षैत्र में सम्पूर्ण रूप से कच्ची/पक्की दीवार अथवा स्वयं के स्तर पर तारबन्दी कर खेत को सुरक्षित सुनिश्चित करने/करने की घोषणा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.6 सामुदायिक स्तर पर तारबन्दी करने में यदि किन्हीं कृषकों की भूमि परिधि (पेरीफेरी) पर नहीं होकर मध्य में आती है एवं कृषकों की आपसी सहमति हो तो सामुदायिक तारबन्दी में समूह के लिये कृषकों की संख्या में सम्मिलित की जा सकेगी किन्तु अनुदान की गणना परिधि वाले कृषकों की ही की जावेगी।

1.7 तारबन्दी के लिये समूह में आवेदक पति–पत्नी दोनों होने पर नियमानुसार दोनों ही अनुदान के लिये पात्र होगें तथा व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में पति–पत्नी यदि अलग–अलग आवेदन करते हैं तथा दोनों के हिस्से में दिशानिर्देशानुसार निर्धारित कृषि भूमि है तो दोनों ही अलग–अलग अनुदान के लिये पात्र होंगे।

1.8 यदि किसी कृषक द्वारा एक स्थान/खसरा नं. पर 400 रनिंग मीटर से कम यथा 150, 200 इत्यादि रनिंग मीटर तक अनुदान प्राप्त किया है तो उक्त कृषक अन्य स्थान/खसरा नं. पर शेष रही दूरी पर अनुदान हेतु पात्र होंगे किन्तु प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर की सीमा तक ही अनुदान देय होगा तथा पूर्व में जिस स्थान/खसरा पर अनुदान दिया गया है उस पर अनुदान देय नहीं होगा।

1.9 तारबन्दी कार्य स्वंय के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर अनुदान देय होगा।

1.10 तारबन्दी कार्य फसलों की नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से सुरक्षा की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।

1.11 राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में कृषि [illegible] की योजनानुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होने के कम में मंदिर के [illegible] की

RajKaj Ref No.
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

जमीन पर तारबन्दी करने पर निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान के लिये पात्र होंगे।

1.12 विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात कृषक द्वारा 60 दिवस में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो कृषक को एसएमएस के माध्यम से अन्तिम सूचना दी जायेगी तथा उसके 30 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी ताकि वरीयता कम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके। विशेष परिस्थिति होने पर कृषि आयुक्तालय द्वारा कृषकों के हित में उक्त अवधि में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

1.13 **राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वनाधिकार पट्टे जिसमें कृषक की भूमि का स्थान, क्षेत्रफल, अक्षांश व देशान्तर अंकित है, ऐसे भूमि प्रदत्त कृषको को भी तारबंदी योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जावेंगा।**

1.14 योजना अन्तर्गत निर्मित तारबन्दी में किसी प्रकार का **विद्युत करन्ट प्रवाहित नहीं किया** जायेगा ताकि जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से बचाया जा सके।

1.15 सामुदायिक स्तर पर तारबंदी आवेदन में न्यूनतम 07 कृषक एवं न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि होने पर कृषको को सामुदायिक तारबंदी का लाभ दिये जाने का प्रावधान है, यदि 07 या अधिक कृषको के समूह मे न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी हेतु आवेदन किया जाता है तो कृषक समूह को स्वतः ही सामुदायिक तारबंदी में सम्मलित किया जावेगा तथा सामुदायिक आवेदन में डॉक्युमेंट स्कुटनी मे खसरा नबंर से जांच करने पर निर्धारित पेरीफेरी में भूमि का क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर से कम पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति मे सामुदायिक के स्थान पर समूह मे सम्मलित किया जावेगा।

1.16 तारबंदी हेतु समूह में आवेदन किये जाने पर यदि कोई कृषक (सदस्य) स्वेच्छापूर्वक हटना चाहे एवं शेष रहे अन्य सदस्यो द्वारा योजना दिशा-निर्देशानुसार पात्रता पूर्ण करने पर समूह में से उस सदस्य को हटाकर शेष रहे कृषको को लाभ दिया जाएगा।

1.17 कृषक द्वारा 2 से 3 फीट तक परकोटा (ईट व पत्थर) की दीवार बनाकर निर्धारित मापदण्डानुसार तारबंदी की जाती है तो विभाग द्वारा निर्धारित ईकाई लागत के आधार पर निर्धारित श्रेणी अनुसार कृषकों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

2-अनुदान सीमाः –

व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदानः-

2.1 तारबंदी हेतु व्यक्तिगत (Individual) किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर **Prorata basis** पर अनुदान देय है) पेरिफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर वहन किया जावेगा।

2.2 व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक **लघु/सीमान्त** श्रेणी होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर **Prorata basis** पर अनुदान देय है।) पेरिफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वय के स्तर पर वहन किया जावेगा। **लघु/सीमान्त श्रेणी कृषकों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत**

RajKaj Ref No.: 22618545
M e-Sign
Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

अनुदान अथवा अधिकतम 8000 रूपये (जो भी कम हो) राज्य योजना से ही देय होगा।

समूह में अनुदानः–

2.3 समूह में तारबन्दी करने वाले सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पेरीफेरी के (परिधि) कृषकों के लिए **दो या दो से अधिक** कृषकों के एक समूह के लिए न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/– जो भी कम हो, प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर **Prorata basis** पर अनुदान देय है) पेरिफेरी की लम्बाई प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर वहन किया जावेगा।

2.4 कृषक समूह में **लघु/सीमान्त** श्रेणी के कृषक सम्मिलित है तो अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/– जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर **Prorata basis** पर अनुदान देय है) पेरिफेरी की लम्बाई प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर वहन किया जावेगा। लघु/सीमान्त श्रेणी कृषकों को **अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 8000 रूपये प्रति कृषक (जो भी कम हो)** राज्य योजना से ही देय होगा।

सामुदायिक तारबन्दी में अनुदानः–

2.5 सामुदायिक आधार पर तारबन्दी करने वाले सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पेरीफेरी (परिधि) के कृषकों के लिए **न्यूनतम 07** कृषकों के एक समूह के लिए **न्यूनतम 5.0 हैक्टेयर** कृषि भूमि होने पर ईकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 56000/– जो भी कम हो, प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर **Prorata basis**पर अनुदान देय है) पेरिफेरी की लम्बाई प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर वहन किया जावेगा। सामुदायिक तारबन्दी के कृषकों को अनुदान राज्य योजना से ही देय होगा।

वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टा धारक कृषक कोतारबन्दी पर अनुदानः–

2.6 वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अन्तर्गत पट्टा धारक कृषकों जिनके पास 0.5 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का पट्टा हो, अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 72000/– जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata basisपर अनुदान देय है) पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में तारबंदी का व्यय कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर वहन किया जावेगा। वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टा धारक कृषक कोअनुदान केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओ से ही देय होगा।

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

3–अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

3.1 कृषक को अनुदान हेतु जनआधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

3.2 आवेदन पत्र के साथ नवीनतम जमाबन्दी की नकल जो कि छः माह से अधिक पुरानी न हो/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

3.3 राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वनाधिकार पट्टे जिसमें कृषक की भूमि का स्थान, क्षेत्रफल, अक्षांश व देशान्तर अंकित है ऐसे भूमि प्रदत्त कृषको को तारबंदी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वनाधिकार पट्टे की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

3.4 कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में अर्थात् कृषक के पिता के जीवित होने एवं परिवार से अलग रहने अथवा मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में राजस्व विभाग द्वारा सक्षम स्तर से भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।

3.5 जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिये पात्र समझा जावे। यदि जनाधार में लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3.6 जन–आधार में लघु/सीमान्त श्रेणी पंजीयन होने के बावजूद कृषक द्वारा संलग्न जमाबन्दी के दस्तावेंजों में कृषक के हिस्से में भूमि अधिक होने की स्थिति में कृषक सामान्य श्रेणी में अनुदान के लिये पात्र समझा जावे।

3.7 तारबंदी करने पर व्यय हुई राशि के बिल **जिसमें कांटेदार तार/चैनलिंक /वर्गाकार जाली (नोड फैन्सिंग) का GST बिल अनिवार्य होगा।**

4–आवेदन प्रकियाः–

4.1 तारबन्दी हेतु कृषक नजदीकी ई मित्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राजकिसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। **ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।**

4.2 व्यक्तिगत (Individual)कृषक/कृषक समूह/सामुदायिक तारबन्दी में सामूहिक रूप से अथवा समूहों में से एक कृषक सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगे।

4.3 समूह में आवेदन करने वाले कृषकों की संख्या न्यूनतम 07 एवं कृषि भूमि न्यूनतम 5 हैक्टर होने पर उक्त समूह स्वतः ही सामुदायिक तारबन्दी हेतु पात्र माना जावेगा।

4.4 तारबन्दी हेतु जिन कृषकों द्वारा पूर्व में समूह में आवेदन किया गया है किन्तु अब वे सामुदायिक श्रेणी में तारबन्दी करना चाहते हैं तो उक्त कृषकों द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (वि0) को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन को रिवर्ट कराकर समूह में सामुदायिक श्रेणी की पात्रता अनुसार संशोधन कर सकेगें।

4.5 आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करेगा तथा ई–प्रपत्र (E-Form) में शपथ/सहमति प्रदान करेगा।

4.6 कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद [illegible] आवेदन में आवेदक प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

RajKaj Ref No.: 22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

4.7 आवेदन पत्र की ऑनलाईन स्कूटनी के समय आवेदन में कोई कमी पाये जाने पर आवेदक को आधार से जुडे मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा जिस पर आवेदक को 15 दिवस में कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वत : ही निरस्त हो जायेगा।

4.8 आवेदनकर्त्ता आवेदन के पश्चात राजकिसान सुविधा मोबाईल एप अथवा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे।

4.9 संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (Scrutiny)संबंधित आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय-समय पर राज किसान साथी पोर्टल में अंकित प्रक्रिया अनुसार आवेदनों की वस्तुस्थिति (status) को अद्यतन (update)करना होगा।

4.10 इन सेवाओं से संबंधित वस्तु-स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाइन/एस एम एस द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से मुद्रण (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।

5-विभागीय मापदण्ड एवं प्रक्रिया विवरण:-

5.1 तारबंदी कार्यक्रम के जिलेवार एवं श्रेणीवार लक्ष्य संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार/परियोजना निदेशक कृषि (वि0) कोटा/उपनिदेशक कृषि आईजीएनपी बीकानेर को आवंटित किये जायेंगे संबंधित जिला अधिकारी उक्त लक्ष्य सहायक निदेशक कृषि विस्तार एवं जिला विस्तार अधिकारी को आवंटित करेंगें।

5.2 कृषि आयुक्तालय से जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2025-26 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2026-27 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

5.3 संयुक्त निदेशक कृषि/सहायक निदेशक (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए किसानों को प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक मिडिया/प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करेंगे।

5.4 तारबंदी के इच्छुक कृषक सभी दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करेगें, इस हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

5.5 कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त तारबन्दी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

5.6 आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा Online Scrutiny की कार्यवाही की जावेगी। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्रों के सभी बिन्दुओं व दिये गये प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर "पहले आओ-पहले पाओ के आधार" पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावे।

5.7 वर्ष 2025-26 में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों के विरूद्ध वित्तीय स्वीकृति जारी नही की गयी है या वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात किसी भी कारण से यदि कृषक को भुगतान नही हुआ है तो बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से ऐसे प्रकरणों को निस्तारित करावें।

5.8 यदि अपवाद स्वरूप जनाधार में कृषक की श्रेणी लघु/सीमान्त अंकित है परन्तु जमाबन्दी में जमीन का स्वामित्व अधिक है तो ऐसे मामले में परीक्षण कर निर्णय लिया जावे।

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

5.9 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन के समबन्ध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कमांक प8(5)आ.कृ./ज.उ.प्र./मनरेगा/2020–21/1084–1207 दि. 28.01.2021 के अनुसार दिशानिर्देशों का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावें। दिशा निर्देश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

5.10 तारबंदी कार्य के प्रीवेरीफिकेशन के दौरान सम्बन्धित कार्मिक द्वारा बिन्दु संख्या 1.8 के कम में यह सत्यापित किया जावेगा कि कृषक द्वारा पूर्व में इस स्थान/खसरा नं. पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा पूर्व में अनुदान पर स्थापित तारबन्दी के रनिंग मीटर 400 मीटर के प्रावधान में से घटाकर शेष रनिंग मीटर का विवरण अंकित किया जायेगा।

5.11 तारबन्दी कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियो टेगिंग कर कृषक खेत का नक्शा मय खसरा संख्या आदि भी अंकित करेंगे इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी की होगी।

5.12 तारबन्दी योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों से अधिक तारबन्दी के भुगतान हेतु विभाग बाध्य नही है।

5.13 तारबन्दी योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्राथमिकता सूची में कृषक का चयन होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व यदि आवेदक कृषक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त जमीन/मुरब्बा/खसरा/चक/किला के संबंध में मृतक के स्थान पर वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु वारिसों के नामान्तरण/जमाबन्दी की प्रति सहित पत्र लिया जाकर अन्य शेष वारिसों की सहमति के आधार पर किसी भी एक या एक से अधिक वारिसों के नाम संयुक्त रूप से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

5.14 तारबन्दी योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत कृषक की मृत्यु हो जाती है तो अनुदान की राशि का भुगतान कृषक के कानूनन वारिसों को राज किसान साथी पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।

6–प्रशासनिक स्वीकृति

6.1 पात्र कृषक का फील्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय में अग्रेषित करेगा।

6.2 अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने के मध्यनजर खेतों की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से पेरिफेरी(Shortest Possible Peripheri) का निर्धारण प्रिवेरिफिकेशन के समय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा।

6.3 कृषक द्वारा तारबन्दी करते समय खेत की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से ले–आउट बनाकर अत्यावश्यक साइड में प्राथमिकता के आधार पर तारबन्दी करवायी जावे। किसी कृषक द्वारा खेत की उस साइड में जिस साइड में पूर्व में किसी दूसरे कृषक द्वारा विभागीय अनुदान प्राप्त कर अथवा स्वयं के द्वारा तारबन्दी की गई है पर पुनः तारबन्दी नहीं करायी जावे। पेरिफेरी के कृषकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की तारबन्दी का सही प्रकार से उपयोग हो रहा है।

6.4 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुदान पात्र आवेदकों की तारबन्दी की ऑन–लाईन पत्रावलियों का राज किसान

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य कराये जाने हेतु ''प्रशासनिक स्वीकृति'' जारी करेगा।

6.5 कार्यालय द्वारा जारी ''प्रशासनिक स्वीकृति'' राजकिसान साथी पोर्टल एवं राजकिसान सुविधा एप के साथ–साथ संबंधित कृषक को क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके यहाँ यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि परिधि (पेरीफेरी) के समस्त चयनित कृषकों को यथासम्भव यह दस्तावेज एक साथ उपलब्ध कराया जावे।

6.6 प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के उपरान्त निर्धारित पेरिफेरी में यथासंभव कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

7–भौतिक सत्यापन

7.1 कृषक द्वारा तारबन्दी कार्य पूर्ण करने के उपरांत राजकिसान सुविधा एप अथवा कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जायेगी ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।

7.2 कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक में किसी एक अधिकारी/कार्मिक द्वारा किया जावेगा। भौतिक सत्यापन के दौरान कृषक/कृषक समूह/सामुदायिक तारबन्दी कृषकों की उपस्थिति में ही किया जा सकेगा। भौतिक सत्यापन तारबंदी कार्य पूर्ण होने के 10 दिवस में करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7.3 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में तारबन्दी स्थापित कर ली गई है तथा कृषक अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्यपरक होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक।

7.4 भौतिक सत्यापन के समय तारबन्दी कार्य विभागीय मापदण्ड के अनुरुप नही है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक/कृषक समूह/सामुदायिक तारबन्दी कृषकों को मय मापदण्ड के कारण सहित हस्तगत कराई जावेगी। **तारबन्दी में कांटेदार तार/चैनलिंक /वर्गाकार जाली** (नोड फैन्सिंग) **का GST बिल अनिवार्य होगा।**

7.5 कृषक द्वारा तारबन्दी कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक लोहे के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरणः–

(अ) कृषि विभाग द्वारा अनुदान सहायता से निर्मित – तारबन्दी

(ब) नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एण्ड –तिलहन/कृषक कल्याण कोष तथा राज्य योजना वर्ष 2026–27 (जो लागू हो)

(स) भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम........................व दूरभाष सं.............लाभान्वित कृषक श्री .... पुत्र श्री .... दूरभाष सं.......................ग्राम .... पंचायत समिति .... जिला ....

(द) स्वीकृत अनुदान राशि .... रूपये अंकित किया जाना आवश्यक है।

8–वित्तीय स्वीकृति

8.1 संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय नियमानुसार तारबन्दी के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करेगें। तारबन्दी के भौतिक सत्यापन उपरान्त 7 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी कर कृषकों को अनुदान राशि का एकमुश्त भुगतान कृषक के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित (DBT) किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

8.2 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त की गई तारबंदी पर ही अनुदान देय होगा। पूर्व में की गई तारबंदी पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

8.3 खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि समय–समय पर तारबंदी की संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से समीक्षा कर जिले को आवंटित लक्ष्य समय पर पूर्ण करवाते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट संकलित कर कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जिला स्तर/उप जिला स्तर पर आवेदित एवं लाभान्वित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

9–निरीक्षण

9.1 अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 10 प्रतिशत तथा कृषि अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।

9.2 खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि समय–समय पर तारबंदी की संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से समीक्षा कर जिले को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेगें।

9.3 तारबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण में आयुक्त कृषि जयपुर का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

Work Flow Chart

Wire Fencing Application Received

↓

Document Scrutiny Approve (10 Days)

↓

Pre Verification (10 Days)

↓

A/S Generated (5 Days)

↓

Wire Fencing work Completed by Farmer (90 Days)

↓

Post Verification (10 Days)

↓

F/S issue (7 Days)

तारबन्दी करने के मापदंडः–

कांटेदार तारः–इसमें कम से कम 150 से.मी. ऊँचाई की कांटेदार तारों की बाड़बन्दी का कार्य, अधिकतम 15 फीट की दूरी पर लोहे के एंगल भूमि में 30 x 30 x 45 से.मी. सीमेन्ट फाउंडेशन 1:3 ... में स्थापित करना व प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट पिलर/पत्थर की पट्टियों के लिये फाउन्डेशन अनिवार्य नहीं है, यद्यपि कृषक चाहे तो मजबूती की दृष्टि से फाउन्डेशन कर सकता है। प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

पिलर का आकार ऊपर से 10 X 10 सेमी एवं नीचे से 15 X 15 सेमी, प्रत्येक 15 वें पिलर एवं कोने के पिलर को इसी आकार के अतिरिक्त पिलर से मजबूत करना। दो पिलरों के बीच 5 लाईन में होरिजोन्टल एवं 2 डाइगोनल कांटेदार तारों को मजबूती से बांधना मय मिट्टी खुदाई, पानी देने आदि का पूर्ण कार्य किया जायेगा।

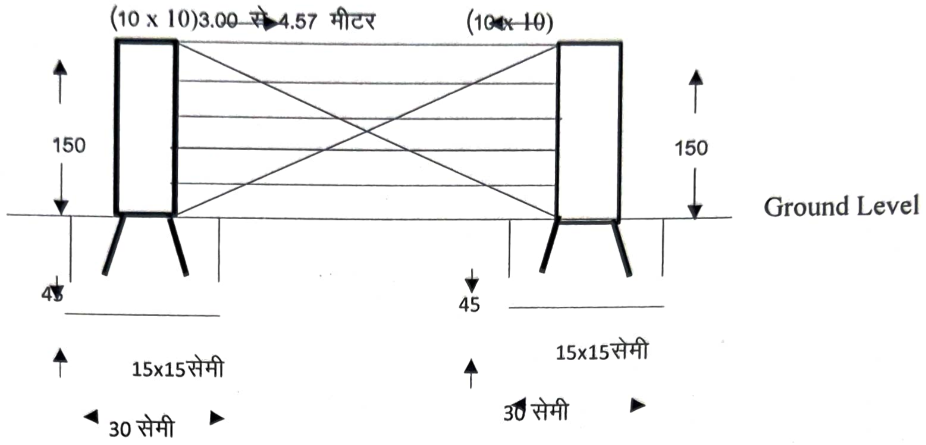

चेनलिंक फेन्सिंगः –चेनलिंक फेन्सिंग को अधिकतम 15 फीट की दूरी पर भूमि में 30 X 30 X 45 सेमी, लोहे के एंगल 50 X 50 X 6 mm को सीमेन्ट कंक्रीट 1 : 3 : 6 में स्थापित किया जायेगा तथा उचित आकार के प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट पिलर या पत्थर की पट्टियां बिना फाउन्डेशन के सम्मिलित है। इसको स्थापित करने की डिजाइन निम्नानुसार रखी जावें।

Angle iron post 50 mm X 50mm X 6mm

Length- 1.8 mtr. – (1.50 mtr. above ground +0.30 mtr. embedded in ground)

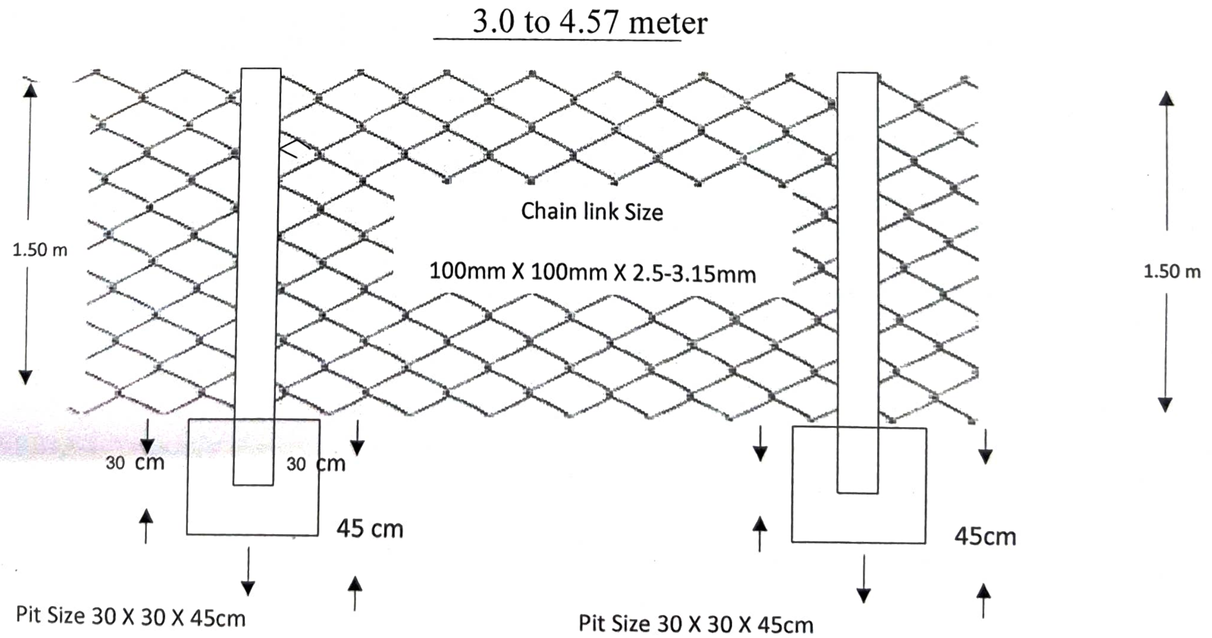

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22618545
M e-Sign

वर्गाकार नोडफेन्सिंगः :—इसमें कम से कम 150 से.मी. ऊँचाई की **वर्गाकार (नोड फेन्सिंग गैल्वेनाइज्ड)** की बाड़बन्दी का कार्य, अधिकतम 15 फीट की दूरी पर लोहे के एंगल भूमि में 30 X 30 X 45 सेमी, सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:6 में स्थापित करना व प्रीकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट पिलर/पत्थर की पट्टियों के लिये फाउन्डेशन अनिवार्य नहीं है यद्यपि कृषक चाहे तो मजबूती की दृष्टि से फाउन्डेशन कर सकेगें। प्रीकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट पिलर का आकार ऊपर से 10 X 10 सेमी एवं नीचे से 15 X 15 सेमी, प्रत्येक 15 वें पिलर एवं कोने के पिलर को इसी आकार के अतिरिक्त पिलर से मजबूत करना। **गैल्वेनाइज्ड** वर्गाकार नोड फेन्सिंग का आकार मजबूती की दृष्टि से 50—100mmx 50—100mm x 2.1-2.5mm होना चाहिए। नोड फेन्सिंग के उपयोग में कृषक तारबन्दी की मजबूती की सुनिश्चितता करेंगे।

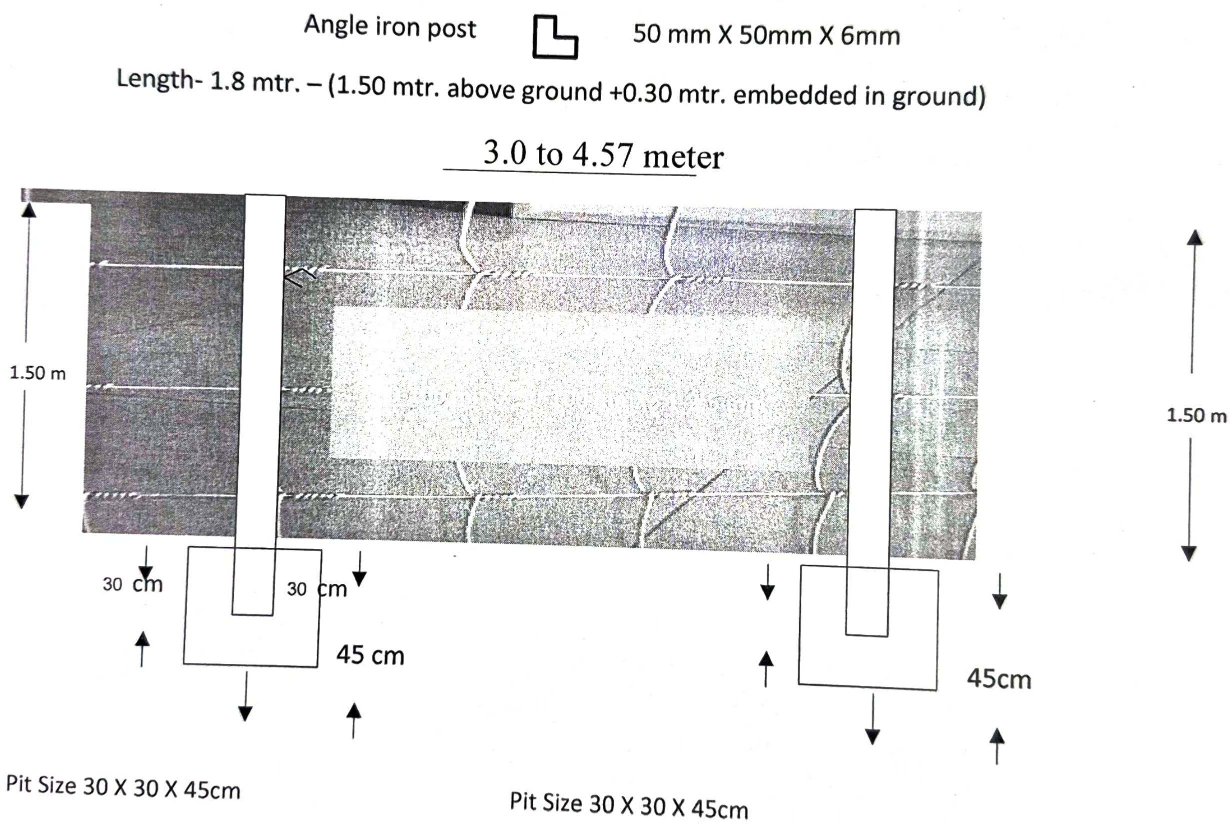

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

शपथ पत्र

व्यक्तिगत कृषक

मैं...पुत्र/पत्नि श्री/श्रीमति...

ग्राम...............................तहसील............................जिला.................................का/की निवासी हूँ तथा

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूं कि मेरे द्वारा ग्राम..खसरा

नम्बर.. जिसमें तारबंदी कार्य किया जा रहा है, पूर्व में तारबंदी पर

अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है तथा इस खसरा नम्बर पर कोई विवाद नहीं है।

कृषक हस्ताक्षर

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

शपथ पत्र

समूह में कृषक/सामुदायिक तारबन्दी

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि समूह के किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदित खसरा नम्बर जिसमें तारबंदी कार्य किया जा रहा है, पूर्व में तारबंदी पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है व कोई विवाद नहीं है। हम सभी कृषक समूह में तारबंदी के लिए सहमत है। समूह में सम्मिलित कृषकों के नाम निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर

RajKaj Ref No.: 22618545
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 10:35:47 IST
Reason: Approved

घोषणा पत्र

मैं / हम

कृषक..पुत्र / पति

श्री / श्रीमति...ग्राम........................तहसील.........................

जिला..............................के निवासी है तथा मेरे / हमारे द्वारा ग्राम.................................. के खसरा नम्बर .... में विभागीय अनुदान से तारबंदी स्थापित की गयी है।

मैं / हम .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ / करते है कि मेरे / हमारे खेत की पेरीफेरी (परिधि) 400 रनिंग मीटर से अधिक होने पर शेष परिधि में स्वयं के स्तर पर सम्पूर्ण परिधि में तारबंदी कर खेत को सुरक्षित सुनिश्चित करूंगा / करेंगे।

हस्ताक्षर

कृषक / कृषक समूह

RajKaj Ref No.:
22618545
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.05 20:35:47 IST
Reason: Approved

Physical Target of Fencing Programme under NMEO-Os and State Plan/KKK for 2026-27

S.No.	District	NMEO-Oilseeds PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	TOTAL	NMEO-Oilseeds FRA Patta Farmers PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	TOTAL	Total NMEO-OS Scheme PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	TOTAL
1	Ajmer	25200	6000	800	32000					25200	6000	800	32000
2	Alwar	22400	5200	2400	30000					22400	5200	2400	30000
3	Balotara	57600	10000	2400	70000					57600	10000	2400	70000
4	Banswara	4400	800	16800	22000	8000	1600	30400	40000	12400	2400	47200	62000
5	Baran	10800	3200	4000	18000					10800	3200	4000	18000
6	Barmer	68800	15200	6000	90000					68800	15200	6000	90000
7	Beawar	15600	4400	2400	22400					15600	4400	2400	22400
8	Bharatpur	11600	3200	400	15200					11600	3200	400	15200
9	Bhilwara	44000	10000	5600	59600	800	0	0	800	44800	10000	5600	60400
10	Bikaner	55200	14800	400	70400					55200	14800	400	70400
11	Bundi	13200	4000	4400	21600					13200	4000	4400	21600
12	Kota (PD-CAD)	13600	3600	4800	22000					13600	3600	4800	22000
13	Chittorgarh	21200	4800	4000	30000	1200	400	400	2000	22400	5200	4400	32000
14	Churu	46400	13200	400	60000					46400	13200	400	60000
15	Dausa	28400	12000	14400	54800					28400	12000	14400	54800
16	Deeg	4400	800	0	5200					4400	800	0	5200
17	Dholpur	7600	2000	400	10000					7600	2000	400	10000
18	Didwana-kuchaman	60000	15200	0	75200					60000	15200	0	75200
19	Dungarpur	3200	400	9200	12800	5200	800	14000	20000	8400	1200	23200	32800
20	Hanumangarh	18000	6800	400	25200					18000	6800	400	25200
21	IGNP- Bikaner	4000	800	0	4800					4000	800	0	4800
22	Jaipur	54000	10400	5600	70000					54000	10400	5600	70000
23	Jaisalmer	44000	8400	3600	56000					44000	8400	3600	56000
24	Jalore	38800	10800	5200	54800					38800	10800	5200	54800
25	Jhalawar	29200	7200	5600	42000					29200	7200	5600	42000
26	Jhunjhunu	40400	8400	800	49600					40400	8400	800	49600
27	Jodhpur	48000	10000	2000	60000					48000	10000	2000	60000
28	Karauli	11600	5200	4800	21600					11600	5200	4800	21600
29	Khairthal-Tijara	12000	2800	0	14800					12000	2800	0	14800
30	Kota	12400	3600	1600	17600					12400	3600	1600	17600
31	Kotputli-Behror	14400	2800	800	18000					14400	2800	800	18000
32	Nagaur	58800	16000	400	75200					58800	16000	400	75200
33	Pali	24800	6800	2400	34000	800	0	0	800	25600	6800	2400	34800
34	Phalodi	24000	4000	0	28000					24000	4000	0	28000
35	Pratapgarh	3600	800	7600	12000	7200	1600	15200	24000	10800	2400	22800	36000
36	Rajsamand	7200	1200	1200	9600	800	0	0	800	8000	1200	1200	10400
37	Salumber	2800	400	3600	6800	1600	0	2000	3600	4400	400	5600	10400
38	Sawai Madhopur	26000	9200	9600	44800					26000	9200	9600	44800
39	Sikar	38400	7200	1200	46800					38400	7200	1200	46800
40	Sirohi	8000	2800	4400	15200	5200	2000	2800	10000	13200	4800	7200	25200
41	Sri Ganganagar	9600	5600	0	15200					9600	5600	0	15200
42	Tonk	43600	13200	8000	64800					43600	13200	8000	64800
43	Udaipur	11600	1600	12800	26000	8000	1200	8800	18000	19600	2800	21600	44000
	TOTAL	1098800	274800	160400	1534000	38800	7600	73600	120000	1137600	282400	234000	1654000

STATE PLAN/KKK

S.No.	District	SMF PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	Total	Community PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	Total	OTHERS PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	Total
1	Ajmer	199200	46800	6000	252000	17800	3200	0	21000	89800	21600	3600	115000
2	Alwar	187200	44800	20000	252000	15400	2800	2800	21000	87000	22000	8000	117000
3	Balotara	395600	68000	16000	479600	34000	6000	0	40000	172400	29600	8400	210400
4	Banswara	34400	8000	137600	180000	3800	0	11200	15000	7000	2800	33200	43000
5	Baran	88800	27200	34000	150000	6900	2800	2800	12500	41500	12000	16000	69500
6	Barmer	550400	120800	48800	720000	44800	11800	2800	59400	253600	53400	23600	330600
7	Beawar	126000	36000	18000	180000	9400	2800	2800	15000	59000	16800	6800	82600
8	Bharatpur	91200	26000	2400	119600	7200	2800	0	10000	42000	11600	1600	55200
9	Bhilwara	362000	83200	46800	492000	32200	6000	2800	41000	164200	39600	22800	226600
10	Bikaner	425600	112800	1600	540000	36600	8400	0	45000	191800	52000	800	244600
11	Bundi	108800	34000	37200	180000	9400	2800	2800	15000	50200	16000	17200	83400
12	Kota (PD-CAD)	112400	28800	38800	180000	9400	2800	2800	15000	52200	12400	18400	83000
13	Chittorgarh	148400	34000	27600	210000	11900	2800	2800	17500	64900	14800	10800	90500
14	Churu	371200	106400	2800	480400	31300	8400	0	39700	169500	49200	1200	219900
15	Dausa	186400	78000	95600	360000	16000	5600	8400	30000	80000	34400	40800	155200
16	Deeg	25200	4400	400	30000	2800	0	0	2800	9600	2400	0	12000
17	Dholpur	62800	17200	4000	84000	4200	2800	0	7000	30200	6400	2400	39000
18	Didwana-kuchaman	478800	120000	1200	600000	38800	11200	0	50000	220400	53600	800	274800
19	Dungarpur	27600	4000	76400	108000	3400	0	5600	9000	6200	1600	22400	30200
20	Hanumangarh	145600	56800	1600	204000	11400	5600	0	17000	67400	25600	800	93800
21	IGNP- Bikaner	33200	8000	1200	42400	3500	0	0	3500	14300	4200	800	19300
22	Jaipur	415200	81600	43200	540000	35000	6400	3600	45000	187800	38000	19200	245000
23	Jaisalmer	354800	66800	28400	450000	29900	4800	2800	37500	162500	31200	12800	206500
24	Jalore	314000	86800	43200	444000	26000	8200	2800	37000	144400	38600	21200	204200
25	Jhalawar	230400	56800	42800	330000	19600	5100	2800	27500	104800	25700	20000	150500
26	Jhunjhunu	316400	66000	7600	390000	26900	5600	0	32500	143900	29600	4400	177900
27	Jodhpur	385200	79200	15600	480000	33600	6400	0	40000	175200	36400	8400	220000
28	Karauli	89600	40800	37600	168000	8400	2800	2800	14000	40000	19200	17200	76400
29	Khairthal-Tijara	97200	21600	1200	120000	7200	2800	0	10000	45600	8800	800	55200
30	Kota	100400	30000	13600	144000	9200	2800	0	12000	45200	13600	7600	66400
31	Kotputli-Behror	115200	21600	7200	144000	9200	2800	0	12000	53200	8800	4000	66000
32	Nagaur	471200	126800	2000	600000	38800	11200	0	50000	216400	57600	800	274800
33	Pali	198000	52800	19200	270000	14100	5600	2800	22500	92300	22800	7600	122700
34	Phalodi	184800	30000	1200	216000	15200	2800	0	18000	84000	13200	800	98000
35	Pratapgarh	28400	6800	60800	96000	2800	0	5200	8000	5200	2000	12800	20000
36	Rajsamand	61600	10800	11600	84000	7000	0	0	7000	25800	6000	6800	38600
37	Salumber	25200	3200	32000	60400	2800	0	2800	5600	9200	1600	12800	23600
38	Sawai Madhopur	173200	62800	64400	300400	14000	5400	5600	25000	75200	27000	27600	129800
39	Sikar	293600	56400	10000	360000	24400	5600	0	30000	132800	24800	5600	163200
40	Sirohi	62000	23200	34000	119200	4400	2800	2800	10000	25200	8000	12400	45600
41	Sri Ganganagar	75200	44000	800	120000	6600	3400	0	10000	34200	20200	400	54800
42	Tonk	342800	103200	64000	510000	28500	8400	5600	42500	156300	47600	28800	232700
43	Udaipur	92800	12800	104400	210000	9100	0	8400	17500	32900	6000	39600	78500
	TOTAL	8588000	2149200	1262800	12000000	722900	181500	95600	1000000	3865300	968700	512000	5346000

S.No.	District	TOATL STATE PLAN PHYSICAL TARGET (In Metre) GEN	SC	ST	Total	NMEO-OS+STATE PLAN/KKK PHYSICAL TARGET (In Metre) GRAND TOTAL SMF	Community	Others	FRA	Total
1	Ajmer	306800	71600	9600	388000	252000	21000	147000		420000
2	Alwar	289600	69600	30800	390000	252000	21000	147000		420000
3	Balotara	602000	103600	24400	730000	479600	40000	280400		800000
4	Banswara	45200	10800	182000	238000	180000	15000	65000	40000	300000
5	Baran	137200	42000	52800	232000	150000	12500	87500		250000
6	Barmer	848800	186000	75200	1110000	720000	59400	420600		1200000
7	Beawar	194400	55600	27600	277600	180000	15000	105000		300000
8	Bharatpur	140400	40400	4000	184800	119600	10000	70400		200000
9	Bhilwara	558400	128800	72400	759600	492000	41000	286200	800	820000
10	Bikaner	654000	173200	2400	829600	540000	45000	315000		900000
11	Bundi	168400	52800	57200	278400	180000	15000	105000		300000
12	Kota (PD-CAD)	174000	44000	60000	278000	180000	15000	105000		300000
13	Chittorgarh	225200	51600	41200	318000	210000	17500	120500	2000	350000
14	Churu	572000	164000	4000	740000	480400	39700	279900		800000
15	Dausa	282400	118000	144800	545200	360000	30000	210000		600000
16	Deeg	37600	6800	400	44800	30000	2800	17200		50000
17	Dholpur	97200	26400	6400	130000	84000	7000	49000		140000
18	Didwana-kuchaman	738000	184800	2000	924800	600000	50000	350000		1000000
19	Dungarpur	37200	5600	104400	147200	108000	9000	43000	20000	180000
20	Hanumangarh	224400	88000	2400	314800	204000	17000	119000		340000
21	IGNP- Bikaner	51000	12200	2000	65200	42400	3500	24100		70000
22	Jaipur	638000	126000	66000	830000	540000	45000	315000		900000
23	Jaisalmer	547200	102800	44000	694000	450000	37500	262500		750000
24	Jalore	484400	133600	67200	685200	444000	37000	259000		740000
25	Jhalawar	354800	87600	65600	508000	330000	27500	192500		550000
26	Jhunjhunu	487200	101200	12000	600400	390000	32500	227500		650000
27	Jodhpur	594000	122000	24000	740000	480000	40000	280000		800000
28	Karauli	138000	62800	57600	258400	168000	14000	98000		280000
29	Khairthal-Tijara	150000	33200	2000	185200	120000	10000	70000		200000
30	Kota	154800	46400	21200	222400	144000	12000	84000		240000
31	Kotputli-Behror	177600	33200	11200	222000	144000	12000	84000		240000
32	Nagaur	726400	195600	2800	924800	600000	50000	350000		1000000
33	Pali	304400	81200	29600	415200	270000	22500	156700	800	450000
34	Phalodi	284000	46000	2000	332000	216000	18000	126000		360000
35	Pratapgarh	36400	8800	78800	124000	96000	8000	32000	24000	160000
36	Rajsamand	94400	16800	18400	129600	84000	7000	48200	800	140000
37	Salumber	37200	4800	47600	89600	60400	5600	30400	3600	100000
38	Sawai Madhopur	262400	95200	97600	455200	300400	25000	174600		500000
39	Sikar	450800	86800	15600	553200	360000	30000	210000		600000
40	Sirohi	91600	34000	49200	174800	119200	10000	60800	10000	200000
41	Sri Ganganagar	116000	67600	1200	184800	120000	10000	70000		200000
42	Tonk	527600	159200	98400	785200	510000	42500	297500		850000
43	Udaipur	134800	18800	152400	306000	210000	17500	104500	18000	350000
	TOTAL	13176200	3299400	1870400	18346000	12000000	1000000	6880000	120000	20000000

[illegible] योजनान्तर्गत एफआरए पट्टा होल्डर्स किसानों के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये गये है परन्तु अन्य जिलों के एफआरए पट्टा होल्डर्स किसानों द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसे किसानों को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

Financial Target of Fencing Programme under NMEO-Os and State Plan/KKK for 2026-27

S.No.	District	NMEO-Oilseeds FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	TOTAL	NMEO-Oilseeds FRA Patta Farmers FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	TOTAL	Total NMEO-OS Scheme FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	TOTAL
1	Ajmer	25.20	6.00	0.80	32.00					25.20	6.00	0.80	32.00
2	Alwar	22.40	5.20	2.40	30.00					22.40	5.20	2.40	30.00
3	Balotra	57.60	10.00	2.40	70.00					57.60	10.00	2.40	70.00
4	Banswara	4.40	0.80	16.80	22.00	14.40	2.88	54.72	72.00	18.80	3.68	71.52	94.00
5	Baran	10.80	3.20	4.00	18.00					10.80	3.20	4.00	18.00
6	Barmer	68.80	15.20	6.00	90.00					68.80	15.20	6.00	90.00
7	Beawar	15.60	4.40	2.40	22.40					15.60	4.40	2.40	22.40
8	Bharatpur	11.60	3.20	0.40	15.20					11.60	3.20	0.40	15.20
9	Bhilwara	44.00	10.00	5.60	59.60	1.44	0.00	0.00	1.44	45.44	10.00	5.60	61.04
10	Bikaner	55.20	14.80	0.40	70.40					55.20	14.80	0.40	70.40
11	Bundi	13.20	4.00	4.40	21.60					13.20	4.00	4.40	21.60
12	Kota (PD-CAD)	13.60	3.60	4.80	22.00					13.60	3.60	4.80	22.00
13	Chittorgarh	21.20	4.80	4.00	30.00	2.16	0.72	0.72	3.60	23.36	5.52	4.72	33.60
14	Churu	46.40	13.20	0.40	60.00					46.40	13.20	0.40	60.00
15	Dausa	28.40	12.00	14.40	54.80					28.40	12.00	14.40	54.80
16	Deeg	4.40	0.80	0.00	5.20					4.40	0.80	0.00	5.20
17	Dholpur	7.60	2.00	0.40	10.00					7.60	2.00	0.40	10.00
18	Didwana-	60.00	15.20	0.00	75.20					60.00	15.20	0.00	75.20
19	Dungarpur	3.20	0.40	9.20	12.80	9.36	1.44	25.20	36.00	12.56	1.84	34.40	48.80
20	Hanumangarh	18.00	6.80	0.40	25.20					18.00	6.80	0.40	25.20
21	IGNP- Bikaner	4.00	0.80	0.00	4.80					4.00	0.80	0.00	4.80
22	Jaipur	54.00	10.40	5.60	70.00					54.00	10.40	5.60	70.00
23	Jaisalmer	44.00	8.40	3.60	56.00					44.00	8.40	3.60	56.00
24	Jalore	38.80	10.80	5.20	54.80					38.80	10.80	5.20	54.80
25	Jhalawar	29.20	7.20	5.60	42.00					29.20	7.20	5.60	42.00
26	Jhunjhunu	40.40	8.40	0.80	49.60					40.40	8.40	0.80	49.60
27	Jodhpur	48.00	10.00	2.00	60.00					48.00	10.00	2.00	60.00
28	Karauli	11.60	5.20	4.80	21.60					11.60	5.20	4.80	21.60
29	Khairthal-Tijara	12.00	2.80	0.00	14.80					12.00	2.80	0.00	14.80
30	Kota	12.40	3.60	1.60	17.60					12.40	3.60	1.60	17.60
31	Kotputli-Behror	14.40	2.80	0.80	18.00					14.40	2.80	0.80	18.00
32	Nagaur	58.80	16.00	0.40	75.20					58.80	16.00	0.40	75.20
33	Pali	24.80	6.80	2.40	34.00	1.44	0.00	0.00	1.44	26.24	6.80	2.40	35.44
34	Phalodi	24.00	4.00	0.00	28.00					24.00	4.00	0.00	28.00
35	Pratapgarh	3.60	0.80	7.60	12.00	12.96	2.88	27.36	43.20	16.56	3.68	34.96	55.20
36	Rajsamand	7.20	1.20	1.20	9.60	1.44	0.00	0.00	1.44	8.64	1.20	1.20	11.04
37	Salumber	2.80	0.40	3.60	6.80	2.88	0.00	3.60	6.48	5.68	0.40	7.20	13.28
38	Sawai Madhopur	26.00	9.20	9.60	44.80					26.00	9.20	9.60	44.80
39	Sikar	38.40	7.20	1.20	46.80					38.40	7.20	1.20	46.80
40	Sirohi	8.00	2.80	4.40	15.20	9.36	3.60	5.04	18.00	17.36	6.40	9.44	33.20
41	Sri Ganganagar	9.60	5.60	0.00	15.20					9.60	5.60	0.00	15.20
42	Tonk	43.60	13.20	8.00	64.80					43.60	13.20	8.00	64.80
43	Udaipur	11.60	1.60	12.80	26.00	14.40	2.16	15.84	32.40	26.00	3.76	28.64	58.40
	TOTAL	1098.80	274.80	160.40	1534.00	69.84	13.68	132.48	216.00	1168.64	288.48	292.88	1750.00

STATE PLAN/KKK

S.No.	District	SMF FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	Total	Community FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	Total	OTHERS FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	Total
1	Ajmer	239.04	56.16	7.20	302.40	24.92	4.48	0.00	29.40	89.80	21.60	3.60	115.00
2	Alwar	224.64	53.76	24.00	302.40	21.56	3.92	3.92	29.40	87.00	22.00	8.00	117.00
3	Balotra	474.72	81.60	19.20	575.52	47.60	8.40	0.00	56.00	172.40	29.60	8.40	210.40
4	Banswara	41.28	9.60	165.12	216.00	5.32	0.00	15.68	21.00	7.00	2.80	33.20	43.00
5	Baran	106.56	32.64	40.80	180.00	9.66	3.92	3.92	17.50	41.50	12.00	16.00	69.50
6	Barmer	660.48	144.96	58.56	864.00	62.72	16.52	3.92	83.16	253.60	53.40	23.60	330.60
7	Beawar	151.20	43.20	21.60	216.00	13.16	3.92	3.92	21.00	59.00	16.80	6.80	82.60
8	Bharatpur	109.44	31.20	2.88	143.52	10.08	3.92	0.00	14.00	42.00	11.60	1.60	55.20
9	Bhilwara	434.40	99.84	56.16	590.40	45.08	8.40	3.92	57.40	164.20	39.60	22.80	226.60
10	Bikaner	510.72	135.36	1.92	648.00	51.24	11.76	0.00	63.00	191.80	52.00	0.80	244.60
11	Bundi	130.56	40.80	44.64	216.00	13.16	3.92	3.92	21.00	50.20	16.00	17.20	83.40
12	Kota (PD-CAD)	134.88	34.56	46.56	216.00	13.16	3.92	3.92	21.00	52.20	12.40	18.40	83.00
13	Chittorgarh	178.08	40.80	33.12	252.00	16.66	3.92	3.92	24.50	64.90	14.80	10.80	90.50
14	Churu	445.44	127.68	3.36	576.48	43.82	11.76	0.00	55.58	169.50	49.20	1.20	219.90
15	Dausa	223.68	93.60	114.72	432.00	22.40	7.84	11.76	42.00	80.00	34.40	40.80	155.20
16	Deeg	30.24	5.28	0.48	36.00	3.92	0.00	0.00	3.92	9.60	2.40	0.00	12.00
17	Dholpur	75.36	20.64	4.80	100.80	5.88	3.92	0.00	9.80	30.20	6.40	2.40	39.00
18	Didwana-	574.56	144.00	1.44	720.00	54.32	15.68	0.00	70.00	220.40	53.60	0.80	274.80
19	Dungarpur	33.12	4.80	91.68	129.60	4.76	0.00	7.84	12.60	6.20	1.60	22.40	30.20
20	Hanumangarh	174.72	68.16	1.92	244.80	15.96	7.84	0.00	23.80	67.40	25.60	0.80	93.80
21	IGNP- Bikaner	39.84	9.60	1.44	50.88	4.90	0.00	0.00	4.90	14.30	4.20	0.80	19.30
22	Jaipur	498.24	97.92	51.84	648.00	49.00	8.96	5.04	63.00	187.80	38.00	19.20	245.00
23	Jaisalmer	425.76	80.16	34.08	540.00	41.86	6.72	3.92	52.50	162.50	31.20	12.80	206.50
24	Jalore	376.80	104.16	51.84	532.80	36.40	11.48	3.92	51.80	144.40	38.60	21.20	204.20
25	Jhalawar	276.48	68.16	51.36	396.00	27.44	7.14	3.92	38.50	104.80	25.70	20.00	150.50
26	Jhunjhunu	379.68	79.20	9.12	468.00	37.66	7.84	0.00	45.50	143.90	29.60	4.40	177.90
27	Jodhpur	462.24	95.04	18.72	576.00	47.04	8.96	0.00	56.00	175.20	36.40	8.40	220.00
28	Karauli	107.52	48.96	45.12	201.60	11.76	3.92	3.92	19.60	40.00	19.20	17.20	76.40
29	Khairthal-Tijara	116.64	25.92	1.44	144.00	10.08	3.92	0.00	14.00	45.60	8.80	0.80	55.20
30	Kota	120.48	36.00	16.32	172.80	12.88	3.92	0.00	16.80	45.20	13.60	7.60	66.40
31	Kotputli-Behror	138.24	25.92	8.64	172.80	12.88	3.92	0.00	16.80	53.20	8.80	4.00	66.00
32	Nagaur	565.44	152.16	2.40	720.00	54.32	15.68	0.00	70.00	216.40	57.60	0.80	274.80
33	Pali	237.60	63.36	23.04	324.00	19.74	7.84	3.92	31.50	92.30	22.80	7.60	122.70
34	Phalodi	221.76	36.00	1.44	259.20	21.28	3.92	0.00	25.20	84.00	13.20	0.80	98.00
35	Pratapgarh	34.08	8.16	72.96	115.20	3.92	0.00	7.28	11.20	5.20	2.00	12.80	20.00
36	Rajsamand	73.92	12.96	13.92	100.80	9.80	0.00	0.00	9.80	25.80	6.00	6.80	38.60
37	Salumber	30.24	3.84	38.40	72.48	3.92	0.00	3.92	7.84	9.20	1.60	12.80	23.60
38	Sawai Madhopur	207.84	75.36	77.28	360.48	19.60	7.56	7.84	35.00	75.20	27.00	27.60	129.80
39	Sikar	352.32	67.68	12.00	432.00	34.16	7.84	0.00	42.00	132.80	24.80	5.60	163.20
40	Sirohi	74.40	27.84	40.80	143.04	6.16	3.92	3.92	14.00	25.20	8.00	12.40	45.60
41	Sri Ganganagar	90.24	52.80	0.96	144.00	9.24	4.76	0.00	14.00	34.20	20.20	0.40	54.80
42	Tonk	411.36	123.84	76.80	612.00	39.90	11.76	7.84	59.50	156.30	47.60	28.80	232.70
43	Udaipur	111.36	15.36	125.28	252.00	12.74	0.00	11.76	24.50	32.90	6.00	39.60	78.50
	TOTAL	10305.60	2579.04	1515.36	14400.00	1012.06	254.10	133.84	1400.00	3865.30	968.70	512.00	5346.00

S.No.	District	TOATL STATE PLAN FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GEN	SC	ST	Total	NMEO-OS+STATE PLAN/KKK FINANCIAL PROVISION (In Rs. Lacs) GRAND TOTAL SMF	Community	Others	FRA	Total
1	Ajmer	353.76	82.24	10.80	446.80	302.40	29.40	147.00		478.80
2	Alwar	333.20	79.68	35.92	448.80	302.40	29.40	147.00		478.80
3	Balotra	694.72	119.60	27.60	841.92	575.52	56.00	280.40		911.92
4	Banswara	53.60	12.40	214.00	280.00	216.00	21.00	65.00	72.00	374.00
5	Baran	157.72	48.56	60.72	267.00	180.00	17.50	87.50		285.00
6	Barmer	976.80	214.88	86.08	1277.76	864.00	83.16	420.60		1367.76
7	Beawar	223.36	63.92	32.32	319.60	216.00	21.00	105.00		342.00
8	Bharatpur	161.52	46.72	4.48	212.72	143.52	14.00	70.40		227.92
9	Bhilwara	643.68	147.84	82.88	874.40	590.40	57.40	286.20	1.44	935.44
10	Bikaner	753.76	199.12	2.72	955.60	648.00	63.00	315.00		1026.00
11	Bundi	193.92	60.72	65.76	320.40	216.00	21.00	105.00		342.00
12	Kota (PD-CAD)	200.24	50.88	68.88	320.00	216.00	21.00	105.00		342.00
13	Chittorgarh	259.64	59.52	47.84	367.00	252.00	24.50	120.50	3.60	400.60
14	Churu	658.76	188.64	4.56	851.96	576.48	55.58	279.90		911.96
15	Dausa	326.08	135.84	167.28	629.20	432.00	42.00	210.00		684.00
16	Deeg	43.76	7.68	0.48	51.92	36.00	3.92	17.20		57.12
17	Dholpur	111.44	30.96	7.20	149.60	100.80	9.80	49.00		159.60
18	Didwana-	849.28	213.28	2.24	1064.80	720.00	70.00	350.00		1140.00
19	Dungarpur	44.08	6.40	121.92	172.40	129.60	12.60	43.00	36.00	221.20
20	Hanumangarh	258.08	101.60	2.72	362.40	244.80	23.80	119.00		387.60
21	IGNP- Bikaner	59.04	13.80	2.24	75.08	50.88	4.90	24.10		79.88
22	Jaipur	735.04	144.88	76.08	956.00	648.00	63.00	315.00		1026.00
23	Jaisalmer	630.12	118.08	50.80	799.00	540.00	52.50	262.50		855.00
24	Jalore	557.60	154.24	76.96	788.80	532.80	51.80	259.00		843.60
25	Jhalawar	408.72	101.00	75.28	585.00	396.00	38.50	192.50		627.00
26	Jhunjhunu	561.24	116.64	13.52	691.40	468.00	45.50	227.50		741.00
27	Jodhpur	684.48	140.40	27.12	852.00	576.00	56.00	280.00		912.00
28	Karauli	159.28	72.08	66.24	297.60	201.60	19.60	98.00		319.20
29	Khairthal-Tijara	172.32	38.64	2.24	213.20	144.00	14.00	70.00		228.00
30	Kota	178.56	53.52	23.92	256.00	172.80	16.80	84.00		273.60
31	Kotputli-Behror	204.32	38.64	12.64	255.60	172.80	16.80	84.00		273.60
32	Nagaur	836.16	225.44	3.20	1064.80	720.00	70.00	350.00		1140.00
33	Pali	349.64	94.00	34.56	478.20	324.00	31.50	156.70	1.44	513.64
34	Phalodi	327.04	53.12	2.24	382.40	259.20	25.20	126.00		410.40
35	Pratapgarh	43.20	10.16	93.04	146.40	115.20	11.20	32.00	43.20	201.60
36	Rajsamand	109.52	18.96	20.72	149.20	100.80	9.80	48.20	1.44	160.24
37	Salumber	43.36	5.44	55.12	103.92	72.48	7.84	30.40	6.48	117.20
38	Sawai Madhopur	302.64	109.92	112.72	525.28	360.48	35.00	174.60		570.08
39	Sikar	519.28	100.32	17.60	637.20	432.00	42.00	210.00		684.00
40	Sirohi	105.76	39.76	57.12	202.64	143.04	14.00	60.80	18.00	235.84
41	Sri Ganganagar	133.68	77.76	1.36	212.80	144.00	14.00	70.00		228.00
42	Tonk	607.56	183.20	113.44	904.20	612.00	59.50	297.50		969.00
43	Udaipur	157.00	21.36	176.64	355.00	252.00	24.50	104.50	32.40	413.40
	TOTAL	15182.96	3801.84	2161.20	21146.00	14400.00	1400.00	6880.00	216.00	22896.00

वासंवी योजनान्तर्गत एफआरए पट्टा होल्डर्स किसानों के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये गये है परन्तु अन्य जिलों के एफआरए पट्टा होल्डर्स किसानों द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसे किसानों को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।